/ / \ / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : — राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : — 58 / 2020

उनवान

कुलवीर सिंह पुतबन्ना अजीत सिंह जात राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मुत0 शीला कंवर पत्नी भगवान सिंह
2. गिरीराज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
4. गटटु कंवर पुत्री गोकुल सिंह
5. छोट सिंह पुत्र गिरधर सिंह
6. धन कंवर पत्नी गिरधर सिंह
7. कृष्णा कंवर पत्नी कालू सिंह
8. लोकेन्द्र सिंह पुत्र कालू सिंह
9. सजना कंवर पत्नी भंवर सिंह
10. अभिषेक पुत्र भंवर सिंह
11. किशन सिंह पुत्र भंवर सिंह
12. राज कंवर पत्नी गुलाब सिंह
13. गोविन्द सिंह पुत्र गुलाब सिंह
14. नवीन सिंह पुत्र गुलाब सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 स्वयं
3. जरियें राज0 पैरोकार
4 से 14 अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 4.12.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 471 / 491 किता 6 रकबा 1.03 की आराजी वादी के दत्तक पिता की पुश्तैनी है। उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादी के दत्तक पिता अजीत सिंह पुत्र सवाई सिंह के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी के दत्तक पिता का स्वर्गवास हो गया है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादी की दत्तक माता के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि में वादी के गोद पुत्र के समर्थन में वादी द्वारा पंचायत का शजरा प्रमाण पत्र पेश किया है। अजीत सिंह के जाईन्दा पुत्र नही होने के कारण उनके द्वारा अपने जीवन काल में हिन्दू रिति रिवाज से वादी को गोदपुत्र स्वीकार किया था। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद के समर्थन में इकबालिया जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता वादी ने अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार मुर्तिब करने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 4 से 14 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 14 प्रकरण में तामील के बावजूद अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर इसी स्तर पर बहस करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा के खतेदार रामकंवरी पत्नी अजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद लिया था। वादी ने अपने दत्ताक माता–पिता की सेवा की है तथा समस्त कियाकर्म पुत्र की भाति अदा किये है। अतःवादग्रस्त आराजी पी वादी का नाम दर्ज किया जावे।

दौराने बहस राज0 पैरोकार ने कथन किया कि वादी द्वारा पंजीकृत गोदनामा पेश नही किया है। अतः वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा रामकंवर पत्नी अजीत सिंह के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी का कथन है कि अजीत सिंह व रामकंवर की मृत्यु हो चुकी है एवं वादी ही उनका एकमात्र वारिस है। राजस्व अभिलेख में दावाकृत सम्पदा रामकंवर के नाम दर्ज है। वादी उक्त वाद में मात्र विरासत का अनुतोष चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत मतदाता परिचय पत्र व शजरा अनुसार वादी के पिता का नाम अजीत सिंह है। अर्थात वादी अजीत सिंह का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। पत्रावली में वादी के तथ्यों के खण्डन हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अन्य हितबद्ध व्यक्ति प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अतः वादी के कथनों की ताईद होती है।

अतः वाद ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 471/491 किता 6 रकबा 1.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उप खण्ड अधिकारी
नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कुलवीर बनाम शीला

दावा बाबत :— 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 58 / 2020
पेश करने की दिनांक — 20.07.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक राकेश कुमार गुप्ता मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वाद ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 471 / 491 किता 6 रकबा 1.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ५ माह १ २ सन् **2020** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद